(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

...

No.F.12-26/2010-Skt.(U.3A) Government of India Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi Dated: ۲۵^{4/}April, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-28/2000-U.3 dated 07.05.2002, on the advice of UGC, had declared Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi consisting of its eight multi-campuses located at Lucknow, Allahabad, Jaipur, Sringeri, Trichur, Puri, Jammu & Garil (Kangra, Himachal Pradesh) as an "Institution Deemed to be University", subject to a review after five years. And further whereas, the Central Government, vide Notification No. 9-28/2000-U.3 dated 01.01.2009, on the advice of the UGC, extended the status of Deemed to be University of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi for a further period of five years i.e. upto 06.05.2012.

3. And whereas, the Central Government, vide Notification No. 9-28/2000-U.3 dated 30.06.2009, on the advice of the UGC, permitted Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi to bring the Bhopal and Mumbai Campus under its ambit as constituent teaching units. And further whereas, the Central Government, vide its Notification No. 9-28/2000-U3(Pt.1) dated 13th February, 2019, extended the status of Deemed to be University of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi from 07.05.2012 onwards.

4. **And whereas**, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi submitted an application for starting of an Off-Campus Centre at Agartala, Tripura. The application was forwarded to UGC for examination and advice. UGC examined the application with the help of its Expert Committee. The report of Expert Committee was considered by the Commission in its 503rd meeting held on 22.09.2014 and recommended for approval the proposal for establishing of off-Campus centre of Rashtriya Sanskrit Sansthan at Agartala, Tripura. The said recommendation of UGC was conveyed to Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi by this Ministry on 5th December, 2016.

5. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby accord its approval on the proposal of Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi to establish an Off-Campus Centre at Agartala, Tripura w.e.f. 5th December, 2016.

6. The declaration, as made in Para 5 above, is further subject to the following conditions:

- i. The over-all performance of Agartala (Tripura) Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.
- ii. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Institution deemed to be University.
- iii. The entire moveable and immovable assets/properties as well as the existing manpower of the Agartala (Tripura) Campus shall be registered in the name of the deemed to be University.
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Off-Campus(es), without prior permission of the UGC.
- v. Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi as well as its Off-Campus(es) shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes offered/to be offered at the Off-Campus(es) of the Institution deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.
- vii. The Institution deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its Off-Campuses.
- viii. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi and its Off-Campus(es).
- ix. As and when necessary, Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019, as amended from time to time.

x. Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University), New Delhi shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

(Ishita Roy) Joint Secretary to the Government of India Tel: 011-23381721

The Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to: -

- 1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002.
- 2. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, 1, Nelson Mandela Marg, Pocket-10, Sector-B, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
- 3. The Vice-Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, 56-57, Institutional area, Janakpuri, New Delhi-110058.
- 4. The Joint Secretary (Language), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
- 5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
- 6. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi 110002.
- 7. The Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
- 8. Guard file / Notification file.

Subral frakhan.

(Subrat Kumar Pradhan) Deputy Secretary to the Govt. of India 23387948

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 12-26/2010-संस्कृत(यू.3ए) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) आईसीआर प्रभाग

> शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक: 10 अप्रैल, 2019

<u>अधिसूचना</u>

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 07.05.2002 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली - जिसके लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, श्रींगेरी, त्रिचूर, पुरी, जम्मू और गारिल (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में स्थित आठ बहु-परिसर को पांच वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन ''सम विश्वविद्यालय'' के रूप में घोषित किया था। और जबकि, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 01.01.2009 की अधिसूचना सं.9-28/2000-यू3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान', नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्ज को अगले पांच वर्षों अर्थात 06.05.2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

3. **और जबकि**, केन्द्र सरकार ने, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 30.06.2009 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को भोपाल और मुम्बई परिसर को घटक शिक्षण इकाईयों के रूप में अपने क्षेत्राधिकार के तहत लाने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त जबिक, केंद्र सरकार ने दिनांक 13 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 9-28/2000-यू.3(पार्ट-।) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 07.05.2012 से आगे बढ़ा दिया था। 4. और जबकि, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के नया आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को जांच और परामर्श हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था। यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच की। आयोग द्वारा दिनांक 22.09.2014 को आयोजित अपनी 503वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2016 को यूजीसी की उक्त संस्तुति से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अवगत करवा दिया था।

5. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श से, एतदद्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2016 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

 उपर्युक्त पैरा 5 में की गई घोषणा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

- i. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस के समग्र कार्य-निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।
- ii. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।
- iii. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को सम-विश्वविद्यालय के नाम पंजीकृत किया जाएगा।
- iv. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।
- v. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।
- vi. समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।

- vii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।
- viii छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- ix. जैसे और जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।
- x. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

्रीव्राता रॉग्म (ईशिता राय) संयुक्त सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 011-23381721

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली – 110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
- कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56-57, इंस्टिट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

- संयुक्त सचिव (भाषा) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- 5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
- 7. निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक को इसे विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के आवश्यक अनुदेश दें।
- ८. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुबीत जिंधी

(सुब्रत कुमार प्रधान) उप सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 23387948